



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940

No. 902]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2018

सं. 81/2018 सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 1214(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 722 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक "2019" के स्थान पर अंक "2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

[फा. सं. 354/119/2017-टीआयू (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 722 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2018

No. 81/2018–Customs

G.S.R. 1214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 722(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 6, in column (3), for the figures “2019”, the figures “2022” shall be substituted;
- (ii) against serial number 7, in column (3), for the figures “2019”, the figures “2022” shall be substituted.

[F. No. 354/119/2017-TRU (Pt-II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 37/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 722(E), dated the 30th June, 2017.